



शब्द - 6897
अंश - 42
सीट - 3
कीट - 7-10

मुन्नापाल उप जिलाधिकारी धनदरा सिंह कवीर नगर

मुन्नापाल कैलाशदेवी महाविद्यालय कोदवर जस्टि प्रबन्धक शवणपाल
पुठ मुन्नापाल सावित्र कोदवर - वनाम - अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक
सवित्र कोदवर व अन्य ।

वाद संख्या 04/2012 अन्तर्गत धारा - 143, जमकि अधिनियम -
भीजा - कोदवर तथा लखनपाला मडुली राक तहसील
धनदरा जिला - लख कवीर नगर ।

नकल आदेश दिनांक - 22-12-12 ।

नोट - नकल आदेश दिनांक - 22-12-12, वी - डाया डाई छतन



न्यायालय उपजिलाधिकारी, धनघटा संतकबीरनगर।

24/12/2012

24/12/12

मुन्नापाल, कैलाशीदेवी महाविद्यालय वादसंख्या-4/1, अन्तर्गत धारा 143, ज0वि0अधि0
कोदवट जरिए प्रबन्धक श्रवणपाल मौजा ग्राम कोदवट, तप्पा सतहरा, परगना
पुत्र मुन्ना पाल साकिन कोदवट महुलीपूरब, तहसील धनघटा, संतकबीरनगर।

बनाम

अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति कोदवट व अन्य

आदेश



प्रश्नगत वाद श्री श्रवण पाल प्रबन्धक मुन्नापाल, कैलाशीदेवी महाविद्यालय कोदवट द्वारा ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस कथन के साथ दाखिल किया गया है कि ग्राम कोदवट, तप्पा सतहरा स्थित आराजी संख्या 402, 424 व 397 जरिए बैनामा प्राप्त किया है और बैनामे के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित हो चुका है। बैनामेशुदा भूमि पर विद्यालय का भवन बना हुआ है। भूमि जोती - रोई नहीं जा रही है। अन्त में अनुरोध किया है कि आराजी निजाई के 1.039 हे० रक्बे को अकृषिक घोषित किया जाय।

श्री श्रवण पाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धनघटा से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार धनघटा ने रा०नि०की जांच आख्या दिनांक 17.12.12 को सस्तुति सहित अग्रसारित किया। रा०नि०ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वादी श्रवण पाल ने ग्राम कोदवट स्थित आराजी संख्या 397/0.472 में से 0.076, आराजी संख्या 424/0.341 में से 0.171 व आराजी संख्या 402/1.230 में से 0.792 रक्बे का बैनामा लिया है। बैनामेशुदा भूमि में मुन्नापाल, कैलाशीदेवी महाविद्यालय कोदवट का भवन व चहरदीवारी निर्मित है। आराजी निजाई में कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार धनघटा की जांच आख्या व अन्य साक्ष्यों का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि ग्राम कोदवट स्थित आराजी संख्या 397/0.472 में से 0.076, आराजी संख्या 424/0.341 में से 0.171 व आराजी संख्या 402/1.230 में से 0.792 कुल 1.039 हे० भूमि बतौर बैनामा श्रवणपाल

[Handwritten signature]

mm

द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् उसमें बतौर महाविद्यालय का भवन व चहरदीवारी बनाकर काबिज है। आराजी निजाई जोती-बोई नहीं जा रही है, अस्तु आराजी निजाई के उक्त रकबे को कृषि से इतर घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः ग्राम कोदवट, तप्पा सतहरा, परगना महुलीपूरब, तहसील धनघटा स्थित आराजी संख्या 397/0.472 में से 0.076, आराजी संख्या 424/0.341 में से 0.171 व आराजी संख्या 402/1.230 में से 0.792 कुल 1.039 हे० मालगुजारी 20.67 रुपया कृषिउत्तर कार्यों हेतु घोषित किया जाता है। आदेश का अनुपालन जब भी नई खतौनी निर्मित हो विवरण के फालन में अंकित किया जावे। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक धनघटा को निःशुल्क निबन्धन हेतु भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर हो।



[Signature]
सहयुव विवेकानन्द

धनघटा, संतकबीरनगर।

प्रमाणित सत्य-प्रतिभा।

[Signature]
साहयुव विवेकानन्द
सहयुव विवेकानन्द 03/11/10

तारीख दाखिल... 20/11/10
तारीख रियासत... 03/10/10
तारीख वापसी... 03/10/10